

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 41/2018 A.K. Gupta  
ज्यादिक नजिस्ट र प्रथम वर्ग  
नियम प्राप्ति Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant .....

श्रीमान उ. सालानपुर  
न/ड  
शाकिर श्वान

Name, parentage, caste and address of accused

शाकिर श्वान ड/० सन्तु श्वान च सालानपुर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 19/02/2018 मुकाम  
नोवा केवटी रोड सालानपुर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में 28 बबलर लीटर/पाव/बोतल शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारिल किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

शाकिर श्वान

A.K. Gupta  
ज्यादिक नजिस्ट र प्रथम वर्ग  
नियम प्राप्ति



// निर्णय //

(आज दिनांक 07/03/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रुपये 1000/सप्ताहों में रु० 85/2.25 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 28 बर्तार/मीटर/पाव/बेसल 528 शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार अपील की जावे। अपील न करने पर मानद अपील न्यायालय के आदेश का

०७/०३/२०१८  
न्यायिक अधिकारी प्रथम वर्ग  
सिजन नगर